सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट विराटनगर, कैम्प दिनांक 29.06.2018

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 23/2010 दायर तारीख : 27.05.2010

1. सांवलराम पुत्र छोटूराम जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर। **— वादी**

बनाम

1. सुखदेवबिहारी
2. रामरतन
3. बंशीधर

(पुत्रान रामचन्द्र उर्फ चन्द्रा)

4. महेन्द्र पुत्र सुखदेवबिहारी
5. लज्जाशंकर उर्फ सुरेश
6. बलराम

(पुत्रान रामरतन)

7. राकेश उर्फ पृथ्वीराज पुत्र बंशीधर

(1 से 7) जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर **— प्रतिवादीगण**

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता वादी
श्री सुखदेवबिहारी मीणा, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण

निर्णय

निर्णय दिनांक 29.06.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बागावास चौरासी के हाल खसरा नम्बर 1257/0.80, 1259/0.48 हैक्टेयर की खातेदारी वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण के मन में वादी व उसके परिवारजन के प्रति दुर्भावना रही है, जिसके चलते प्रतिवादीगण, वादी के उक्त आराजी पर लठ के बल से कब्जा कर वादी को जबरन उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करने पर आमादा है, तथा वादी के साथ मारपीट करने पर आमादा रहते है। वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा में शान्ति बनाये रखने के लिए धारा 107, 116 (3) जाप्ता फौजदारी का इस्तगासा भी पेश किया है। वादी जब दिनांक 12.07.2009 को अपने परिवार के साथ अपनी खातेदारी भूमि की जुताई, बुआई कर रहा था, तो प्रतिवादीगण वादी के खेत में आ गये तथा वादी के साथ मारपीट की, जिसकी वादी ने

Web Copy - Not Official

पुलिस थाना शाहपुरा में रिपोर्ट दर्ज करवायी, जिसमें पुलिस ने बाद अनुसंधान प्रतिवादी रामरतन के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया है, जो विचाराधीन है। इसके बाद भी जब वादी दिनांक 19.05.2010 को अपनी भूमि पर सुड कर रहा था, तो सभी प्रतिवादीगण एकराय होकर आये तथा वादी के साथ गाली गलौच करने लगे तथा वादी की खातेदारी भूमि पर जबरन जुताई करने पर आमादा हो गये, आस–पास के व्यक्तियों ने प्रतिवादीगण को समझा कर वापस भेजा, लेकिन जाते–जाते प्रतिवादीगण ने ऐलानियां धमकी दी है, कि वे जल्द ही वादी की खातेदारी भूमि पर कब्जा करेगें तथा वादी को खातेदारी भूमि से बेदखल कर देगें। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ग्राम बागावास चौरासी वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1259, 1257 से वादी को जबरन बेदखल नहीं करें, स्वयं कब्जा नहीं करें तथा वादी को आराजी के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर, प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश किया।

3. प्रतिवादीगण का जवाब रहा कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के भाई रामनाथ के कब्जे काश्त की भूमि रही है। रामनाथ का दिनांक 07.01.2009 को देहान्त नाऔलाद हो गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 सगे भाई है, जो परम्परागत रीति–रिवाज उत्तराधिकारी, विधि वारिस होने के कारण कथित आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त है। इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अतः जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को ग्राम बागावास चौरासी के खसरा नम्बर 1257, 1259 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादी का नाम हजफ फरमाया जावे, राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

4. वादी ने प्रतिदावा का जवाब पेश किया कि आराजी मुतनाजा रामनाथ के कब्जे काश्त की भूमि नहीं रही है, अपितु वादी ने आराजी किलाण पुत्र बिरदू, धन्नाराम, सुरज्ञानी पुत्रान ओमकार, नानू पुत्र बिरदू से जरिए विक्रय पत्र दिनांक 10.01.1983 एवं दिनांक 24.08.1983 को पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर खरीदी है। प्रतिवादीगण मृतक रामनाथ के वारिस नहीं है, बल्कि रामनाथ के जायन्दा पुत्री शान्ती देवी व दत्तक पुत्र रवि वारिस है। अतः

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रतिदावा मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमया जावे।

5. उभय पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम की गई
   1. आया आराजी खसरा नम्बर 1257/0.80, 1259/0.48 हैक्टेयर ग्राम बागावास चौरासी पर वादी काबिज काश्त है तथा खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज है ? प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई वास्ता कब्जा काश्त नहीं है ? **—— जिम्मे वादी**
   2. आया वादी, प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है ? **—— जिम्मे वादी**
   3. आया वादी ने विवादित आराजी मिलीभगत से अपने नाम हाल जमाबन्दी में करवाया है ? विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है ? **—— जिम्मे प्रतिवादीगण**
   4. आया विवादित आराजी प्रतिवादी के भाई रामनाथ के कब्जे काश्त की रही है तथा उनके नाऔलाद फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 उनके उत्तराधिकारी होने से वादी को स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाने का कोई अधिकार नही हैं ? **—— जिम्मे प्रतिवादीगण**
   5. आया विवादित आराजी के संबंध में वादी, प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं हैं ? **—— प्रतिवादीगण**
6. वादी ने अपने वादपत्र एवं तनकियात के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2063–2066 Ex.-1, विक्रय पत्र 24.08.1983 Ex.-2, विक्रय पत्र दिनांक 10.01.1983 Ex.-3 आदि पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

   मौखिक साक्ष्य के रूप में सांवलराम पुत्र छोटूराम PW-1, रवि दत्तक पुत्र रामनाथ PW-2 के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश किये गवाह PW-1 को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है।
7. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर में पेश हुई।
8. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों, का अवलोकन किया गया। तनकीवार विवेचन इस प्रकार है :–

   तनकी संख्या 1 : आया आराजी खसरा नम्बर 1257/0.80, 1259/0.48 हैक्टेयर ग्राम बागावास चौरासी पर वादी काबिज काश्त है तथा खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज है ? प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई वास्ता कब्जा काश्त नहीं है ?

   तनकी संख्या 2 : आया वादी, प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है ?

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त दोनो तनकियों को साबित करने का भार वादी पर रहा। ग्राम नानाधास चौरासी के हाल खसरा नम्बर 1257/0.80, 1259/0.48 हैक्टेयर की खातेदारी जमान्दी संवत् 2063–2066 Ex.-1 वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी ने आराजी किलाण पुत्र बिरदू, धन्नाराम, सुरज्ञानी पुत्रान ओमकार, नानू पुत्र बिरदू से जरिए विक्रय पत्र दिनांक 10.01.1983 Ex.-2, एवं दिनांक 24.08.1983 Ex.-3 को पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर खरीदी है। यह भी कि प्रतिवादीगण मृतक रामनाथ के वारिस नहीं है, बल्कि रामनाथ के जायन्दा पुत्री शान्ती देवी व दत्तक पुत्र रवि वारिस है। वादी के प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतः साबित है कि आराजी मुतनाजा वादी की खातेदारी भूमि है, तथा रिकार्डेड खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा करने का पूर्ण हक अधिकार प्राप्त है। यह भी कि वादी ने वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा में शान्ति बनाये रखने के लिए धारा 107, 116 (3) जाप्ता फौजदारी का इस्तगासा भी पेश किया है, जिससे साबित होता है कि प्रतिवादीगण, वादी की खातेदारी भूमि में बेजा दखल करते है, जिन्हें वादी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अतः उक्त तनकियात बहक वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आया वादी ने विवादित आराजी मिलीभगत से अपने नाम हाल जमाबन्दी में करवाया है ? विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है ?

तनकी संख्या 4 :– आया विवादित आराजी प्रतिवादी के भाई रामनाथ के कब्जे काश्त की रही है तथा उनके नाऔलाद फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 उनके उत्तराधिकारी होने से वादी को स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाने का कोई अधिकार नही हैं ?

तनकी संख्या 5 :– आया विवादित आराजी के संबंध में वादी, प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं हैं ?

उक्त तनकियात को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण ने अपने जिम्मे तनकियात के समर्थन में किसी प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, तथा तनकी संख्या 1, 2 दस्तावेजी साक्ष्य के आधार बहक वादी निर्णीत की गई है। जहां, तक मृतक रामनाथ के नाऔलाद फौत होने का प्रश्न है, उसके संबंध में यह कि रामनाथ के एक पुत्री शान्ती देवी जायन्दा पुत्री है तथा एक दत्तक पुत्र रवि के होने का भी दावा में अंकित किया है। वादी आराजी मुतनाजा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। हाल खसरा नम्बर 1257/0.80, 1259/0.48 हैक्टेयर की खातेदारी जमान्दी संवत् 2063–2066 Ex.-1 वादी के नाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दर्ज रिकार्ड है। वादी ने आराजी किलाण पुत्र बिरदू, धन्नाराम, सुरज्ञानी पुत्रान ओमकार, नानू पुत्र बिरदू से जरिए विक्रय पत्र दिनांक 10.01.1983 Ex.-2, एवं दिनांक 24.08.1983 Ex.-3 को पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर खरीदी है। अतः तनकी संख्या 3 लगायत 5 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

निष्कर्षतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं रिपोर्ट अवलोकन से पूर्णतः स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बर 1257/0.80, 1259/0.48 हैक्टेयर की खातेदारी जमान्दी संवत् 2063–2066 Ex.-1 वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है, तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य फौजदारी प्रकरण भी दर्ज होना दावा एवं जवाब दावे में बताया गया है। अतः प्रतिवादीगण को वादीगण के रिकार्ड अनुसार दर्ज खातेदारी एवं कब्जाशुदा भूमि में मजाहमत नहीं करें साथ ही कब्जे के संबंध में उभय पक्षकारान के मध्य कोई विवाद होने की स्थिति में विधिक प्रक्रिया अनुसार ही दोनो पक्षों को कार्यवाही हेतु पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

वादी का वादपत्र इस कदर डिक्री किया जाता है कि ग्राम बागावास चौरासी के खसरा नम्बर 1257/0.80, 1259/0.48 हैक्टेयर के संबंध में प्रतिवादीगण को, वादीगण की रिकार्ड अनुसार खातेदारी एवं कब्जाशुदा भूमि में मजाहमत नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है साथ ही कब्जे के संबंध में उभय पक्षकारान के मध्य कोई विवाद होने की स्थिति में विधिक प्रक्रिया अनुसार ही दोनो पक्षों को कार्यवाही हेतु पाबन्द किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 29.06.2018 को कैम्प कोर्ट विराटनगर में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर **दिनांक 29.06.2018**

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. सांवलराम पुत्र छोटूराम जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर। **— वादी**

बनाम

1. सुखदेवबिहारी 2. रामरतन 3. बंशीधर	पुत्रान रामचन्द्र उर्फ चन्द्रा	जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर
4. महेन्द्र पुत्र सुखदेवबिहारी		
5. लज्जाशंकर उर्फ सुरेश 6. बलराम	पुत्रान रामरतन	
7. राकेश उर्फ पृथ्वीराज पुत्र बंशीधर		

— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 33/2010 **दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतेई रूबरू **श्री मदनलाल जाट एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री सुखदेवबिहारी मीणा एडवोकेट** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश हुए। **राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर में मजमा–ए–आम उपस्थित पक्षकारान को सुना गया।** प्रकरण स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित है तथा वादी आराजी मुतनाजा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादी का वादपत्र इस कदर डिक्री किया जाता है कि ग्राम बागावास चौरासी के खसरा नम्बर 1257/0.80, 1259/0.48 हैक्टेयर के संबंध में प्रतिवादीगण को, वादीगण की रिकार्ड अनुसार खातेदारी एवं कब्जाशुदा भूमि में मजाहमत नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है साथ ही कब्जे के संबंध में उभय पक्षकारान के मध्य कोई विवाद होने की स्थिति में विधिक प्रक्रिया अनुसार ही दोनो पक्षों को कार्यवाही हेतु पाबन्द किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 29.06.2018 को कैम्प कोर्ट विराटनगर में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य........ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य............. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 29.06.2018** को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर